अध्याय-2

वस्तु व सेवा कर के अंतर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट

अध्याय 2: वस्तु व सेवा कर के अंतर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

2.1 परिचय

हमारे देश में वस्तु व सेवा कर अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार है, जिसने केंद्र एवं राज्यों द्वारा उद्ग्रहित व संग्रहित विभिन्न करों का स्थान लिया। वस्तु व सेवा कर वस्तुओं अथवा सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर एक गंतव्य-आधारित कर है, जो कई चरणों में लगाया जाता है एवं जिसमें कर आपूर्ति के साथ आगे बढ़ेंगे। वस्तु व सेवा कर व्यवस्था के मौजूदा कानूनों में इनपुट टैक्स के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए, वस्तु व सेवा कर अधिनियमों में 'इनपुट टैक्स हेतु ट्रांजिशनल (संक्रमणकालीन) व्यवस्था' को शामिल किया गया था ताकि मौजूदा कानून में उचित करों या शुल्कों के भुगतान के संबंध में इनपुट टैक्स का दावा करने का अधिकार एवं तरीका प्रदान किया जा सके। ट्रांजिशनल क्रेडिट के प्रावधान सरकार एवं व्यवसाय दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। व्यवसाय हेतु ट्रांजिशनल क्रेडिट के प्रावधान वस्तु व सेवा कर व्यवस्था के भीतर पिछली विवरणियों (रिटर्न्स), कच्चे माल के संबंध में इनपुट टैक्स, प्रक्रियाधीन कार्य, पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में क्रेडिट सहित नियत दिन पर स्टॉक में तैयार माल से संचित क्रेडिट का परिवर्तन (ट्रांजिशन) सुनिश्चित करते हैं। ये प्रावधान करदाताओं को इस प्रकार के इनपुट क्रेडिट को स्थानांतरित करने में केवल तभी सक्षम बनाते हैं जब उनका उपयोग व्यवसाय की सामान्य अवधि के दौरान या व्यवसाय को आगे बढ़ाने में किया जाता है। केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर अधिनियम 2017 (तथा राज्य वस्तु व सेवा कर अधिनियम/ संघ शासित वस्तु व सेवा कर अधिनियम) की धारा 140 करदाताओं को मौजूदा कानूनों के तहत अर्जित इनपुट टैक्स क्रेडिट को वस्तु व सेवा कर व्यवस्था में आगे ले जाने में सक्षम बनाती है। केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर नियमावली 2017 के नियम 117 के साथ पठित खंड इस संबंध में विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करता है। कंपोजिशन स्कीम (अधिनियम की धारा 10 के तहत) के तहत कर के भुगतान का विकल्प चुनने वालों को छोड़कर अन्य सभी पंजीकृत करदाता नियत दिन से 90 दिनों के भीतर टीआरएएन 1 रिटर्न फाइल करके ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा करने के पात्र हैं। टीआरएएन 1 रिटर्न फाइल करने की समयसीमा प्रारंभिक रूप से 27.12.2017 तक बढ़ा दी गई थी। केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड आदेश संख्या 01.2020-वस्तु व सेवा कर दिनांक 07.02.2020 के तहत उन करदाताओं के लिए, जो तकनीकी कठिनाइयों तथा वस्तु व सेवा कर परिषद द्वारा अनुशंसित मामलों के कारण टीआरएएन 1 फाइल नहीं कर सके, टीआरएएन 1 फाइल करने की नियत तारीख को 31.03.2020 तक बढ़ा दिया गया था।

2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

वस्तु व सेवा कर के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट हेतु ट्रांजिशनल व्यवस्था की लेखापरीक्षा निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्यों के साथ की गई थी:

i. क्या ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के चयन एवं सत्यापन हेतु विभाग द्वारा परिकल्पित तंत्र पर्याप्त व प्रभावी था?

ii. क्या करदाताओं द्वारा वस्तु व सेवा कर व्यवस्था में किए गए ट्रांजिशनल क्रेडिट वैध एवं स्वीकार्य थे?

2.3 लेखापरीक्षा मानदंड

वे मानदंड जिनके आधार पर लेखापरीक्षा उद्देश्यों एवं सह-उद्देश्यों का सत्यापन किया जाना है, निम्नानुसार हैं:-

i. केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर नियमावली 2017 के नियम 117 एवं राज्य वस्तु व सेवा कर नियमावली 2017 के साथ पठित केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 140 व राज्य वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधान,

ii. केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार कर विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाएं/परिपत्र एवं केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड क्षेत्र-संरचनाओं द्वारा जारी सम्बन्धित निर्देश।

2.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यपद्धति

ट्रांजिशनल क्रेडिट दावे की लेखापरीक्षा में वस्तु व सेवा कर अधिनियम की धारा 140 के तहत प्रदान किए गए इनपुट टैक्स हेतु ट्रांजिशनल व्यवस्था के अंतर्गत करदाताओं द्वारा फाइल किए गए रिटर्न, टीआरएएन 1 व टीआरएएन 2 की जांच शामिल थी। लेखापरीक्षा सत्यापन में राज्य के 13 राजस्व जिलों में चयनित दावों के विस्तृत स्वतंत्र सत्यापन के साथ-साथ विभागीय सत्यापन की प्रक्रिया एवं परिणामों की संवीक्षा सम्मिलित है।

2.5 नमूना चयन

राज्य के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों/आर्थिक केंद्रों से संबंधित उच्च जोखिम वाले मामलों को सम्मिलित करने वाले 592 मामलों (73 प्रतिशत मामले अर्थात 431 इनपुट टैक्स क्रेडिट श्रेणी 5सी से थे) का नमूना, लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। राजस्व जिले-वार नमूना चयन का विवरण इस प्रकार है:

बिलासपुर 20, चंबा नौ, हमीरपुर 50, कांगड़ा 78, ऊना 47, शिमला 76, सिरमौर 53, बद्दी 128, कुल्लू 22, मंडी 42 व सोलन 67।

2.6 लेखापरीक्षा परिणाम

2020-21 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के 11 मण्डलों में 592 मामलों के नमूने की नमूना-जांच की गई। इन मामलों की नमूना-जांच में निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत विभिन्न अनियमितताएं उजागर हुई, जैसा कि नीचे **तालिका-2.1** में दर्शाया गया है:

तालिका-2.1: लेखापरीक्षा परिणाम

क्र. सं.	लेखापरीक्षा आपत्तियों की प्रकृति (केवल सांकेतिक)	लेखापरीक्षा नमूना		पाई गई कमियों की संख्या	
		संख्या	राशि लाख में	संख्या	राशि लाख में
1	अधिक इनपुट कर क्रेडिट को अग्रेषित करना	431	7,865.5	79	1,247.00
2	वार्षिक एवं त्रैमासिक रिटर्न्स में मिलान न होने के कारण ट्रांजिशनल क्रेडिट का अधिक दावा	592	16,550.69	22	149.91
3	टीआरएएन-2 फाइल किए बिना ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित दावा	592	16,550.69	6	38.29
4	ईआर-1/एसटी-3 रिटर्न्स फाइल किए बिना ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ प्राप्त करना	431	7,865.5	7	52.71
5	शुल्क प्रदत्त दस्तावेजों के बिना भण्डार में रखे माल पर ट्रांज़ेशनल क्रेडिट का अनियमित दावा	38	636.85	1	9.88
6	पूंजीगत माल पर अधिक इनपुट कर क्रेडिट को अग्रेषित करना	25	2,441.05	1	9.42

महत्वपूर्ण मामलों के विवरण निम्नलिखित परिच्छेदों में दिए गए हैं:

2.7 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

11 आयुक्तालयों में ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों के अभिलेखों की जांच में कुछ कमियां पाई गई, जो निम्नवत हैं:-

2.7.1 ₹ 1,247.00 लाख का अधिक इनपुट कर क्रेडिट अग्रेषित करना

केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 140(1) एवं राज्य वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 के अनुसार किसी कम्पोजीशन करदाता के अतिरिक्त कोई पंजीकृत व्यक्ति उसके इलेक्ट्रोनिक क्रेडिट लैजर में 30 जून 2017 तक की अवधि से सम्बंधित रिटर्न में अग्रेषित किए गए मूल्य वर्धित कर क्रेडिट की राशि को लेने का पात्र है, यदि वह मौजूदा कानूनों के तहत नियत दिन से 90 दिनों के भीतर टीआरएएन-1 फाइल करके प्रस्तुत करता है। पंजीकृत व्यक्ति को क्रेडिट लेने की अनुमति तब तक नहीं होगी जबतक कहा गया क्रेडिट मौजूदा कानून (हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) के तहत मूल्य वर्धित कर क्रेडिट के रूप

में मान्य न हो तथा केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत इनपुट कर क्रेडिट के रूप में भी मान्य न हो।

हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के 11 मण्डलों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि 431 चयनित ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों में से 79 मामलों[1] में जून 2017 के विगत पिछले रिटर्न में किए दावे की अपेक्षा अधिक ट्रांजिशनल क्रेडिट टीआरएएन-1 (तालिका 5सी के अंतर्गत) में अग्रेषित किए। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1247.00 लाख का अधिक ट्रांजिशनल क्रेडिट अग्रेषित किया गया, जैसाकि **परिशिष्ट-2.1** में संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

यह केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 140 एवं राज्य वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों की अवहेलना के रूप में परिणत हुआ।

इसे इंगित किए जाने पर (मार्च व अप्रैल 2021) सम्बंधित कराधान एवं आबकारी उपायुक्त ने बताया (मार्च व अप्रैल 2021) कि मामलों के निर्धारण के समय प्रयोज्य वस्तु व सेवा कर अधिनियम के अनुसार ट्रांजिशनल क्रेडिट अग्रेषित करने के मामलों की जांच की जाएगी।

2.7.2 वार्षिक एवं त्रैमासिक रिटर्न्स में मिलान न करने के कारण ₹ 149.91 लाख ट्रांजिशनल क्रेडिट राशि का अधिक दावा

केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 140 एवं राज्य वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 के अनुसार किसी कम्पोजीशन करदाता के अतिरिक्त कोई पंजीकृत व्यक्ति उसके इलेक्ट्रोनिक क्रेडिट लैजर में 30 जून 2017 तक की अवधि से सम्बंधित रिटर्न में अग्रेषित किए गए मूल्य वर्धित कर क्रेडिट की राशि को लेने का पात्र है, यदि वह मौजूदा कानूनों के तहत नियत दिन से 90 दिनों के भीतर टीआरएएन-1 फाइल करके प्रस्तुत करता है। पंजीकृत व्यक्ति को क्रेडिट लेने की अनुमति तब तक नहीं होगी जबतक कहा गया क्रेडिट मौजूदा कानून (हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) के तहत मूल्य वर्धित कर क्रेडिट के रूप में मान्य न हो तथा केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत इनपुट कर क्रेडिट के रूप में भी मान्य न हो।

हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के 11 मण्डलों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि 592 चयनित ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों में से 22 मामलों[2] में वार्षिक एवं त्रैमासिक/मासिक रिटर्न्स में दर्शाए गए इनपुट कर क्रेडिट शेष में अंतर था। 21 मामलों में त्रैमासिक रिटर्न व टीआरएएन 1 में अग्रेषित इनपुट कर क्रेडिट वार्षिक रिटर्न में अग्रेषित किए गए इनपुट कर क्रेडिट से अधिक था तथा एक मामले में वार्षिक रिटर्न व टीआरएएन 1 अग्रेषित इनपुट कर क्रेडिट

---

1 चंबा एक, हमीरपुर तीन, ऊना नौ, कांगड़ा चार, धर्मशाला दो, नूरपुर दो, पालमपुर चार, शिमला 11, सिरमौर नौ, बद्दी 21, कुल्लू दो, मंडी दो व सोलन नौ।

2 चंबा एक, बिलासपुर दो, ऊना चार, कांगड़ा चार, नूरपुर एक, धर्मशाला दो, शिमला पांच व मंडी तीन।

त्रैमासिक रिटर्न में अग्रेषित इनपुट कर क्रेडिट से अधिक था। अतः त्रैमासिक/मासिक रिटर्न्स के अग्रेषित किए गए इनपुट कर क्रेडिट आंकड़े टीआरएएन 1 के आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं। इसके परिणामस्वरुप त्रैमासिक/मासिक रिटर्न्स की तुलना में टीआरएएन 1 में ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में ₹ 149.91 लाख राशि के अधिक इनपुट कर क्रेडिट का दावा किया गया जैसाकि **परिशिष्ट-2.2** में विवर्णित है।

इसे इंगित किए जाने पर (मार्च व अप्रैल 2021) सम्बंधित राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त ने बताया (मार्च व अप्रैल 2021) कि प्रयोज्य वस्तु व सेवा कर अधिनियम के अनुसार इन मामलों की जांच की जाएगी।

2.7.3 टीआरएएन-2 फाइल किए बिना ₹ 38.29 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित दावा

केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 140 (3) एवं राज्य वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 तथा केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर नियम, 2017 के नियम 117 (4) एवं राज्य वस्तु व सेवा कर नियम, 2017 के अनुसार टीआरएएन 2 उस विक्रेता द्वारा फाइल किया जा सकता है जिसके पास 30 जून 2017 तक रखे गए स्टॉक हेतु स्टॉक पर कर क्रेडिट का दावा करने के लिए मूल्य वर्धित इनवॉइस न हो।

हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के 11 मण्डलों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि 592 चयनित ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों में से छः मामलों[3] में जीएसटीएन पोर्टल पर कोई टीआरएएन 2 रिटर्न उपलब्ध नहीं था परन्तु जीएसटीआर 9 (वार्षिक रिटर्न) में टीआरएएन 2 फाइल किए बिना ₹ 38.29 लाख राशि के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया गया था जो अनियमित था, जिसके विवरण **परिशिष्ट-2.3** में संलग्न किए गए हैं।

इसे इंगित किए जाने पर (मार्च व अप्रैल 2021) सम्बंधित राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त ने बताया (मार्च व अप्रैल 2021) कि प्रयोज्य वस्तु व सेवा कर अधिनियम के अनुसार इन मामलों की जांच की जाएगी।

यह केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 140 एवं राज्य वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों की अवहेलना के रूप में परिणत हुआ।

2.7.4 वार्षिक रिटर्न फाइल किए बिना ₹ 52.71 लाख के इनपुट कर क्रेडिट का अनियमित अग्रेषण

केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 140(1) एवं राज्य वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 के अनुसार किसी कम्पोजीशन करदाता के अतिरिक्त कोई पंजीकृत व्यक्ति

[3] चम्बा एक, हमीरपुर दो, नूरपुर एक, उना एक व शिमला एक।

उसके इलेक्ट्रोनिक क्रेडिट लैजर में 30 जून 2017 तक की अवधि से सम्बंधित रिटर्न में अग्रेषित किए गए मूल्य वर्धित कर क्रेडिट की राशि को लेने का पात्र है, यदि वह मौजूदा कानूनों के तहत नियत दिन से 90 दिनों के भीतर टीआरएएन-1 फाइल करके प्रस्तुत करता है।

करदाता को नियत तिथि से ठीक पहले विगत छः माह की अवधि हेतु सभी रिटर्न्स फाइल करने होंगे।

हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के 11 मण्डलों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि 431 चयनित ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों में से सात मामलों[4] में विक्रेता ने विगत वार्षिक रिटर्न (2016-2017 की अवधि हेतु) फाइल किए बिना ₹ 52.71 लाख राशि के इनपुट कर क्रेडिट को इसके टीआरएएन-1 में अग्रेषित किया। इसके विवरण **परिशिष्ट-2.4** में संलग्न हैं।

इसे इंगित किए जाने पर (मार्च व अप्रैल 2021) सम्बंधित राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त ने बताया (मार्च व अप्रैल 2021) कि प्रयोज्य वस्तु व सेवा कर अधिनियम के अनुसार इन मामलों की जांच की जाएगी। यह केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 140 एवं राज्य वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों की अवहेलना के रूप में परिणत हुआ है।

2.7.5 तालिका 7(सी) के अंतर्गत ₹ 9.88 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट अनियमित अग्रेषण एवं इनपुट कर क्रेडिट का अनियमित दावा

वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 140 के अनुसार किसी कम्पोजीशन करदाता के अतिरिक्त कोई पंजीकृत व्यक्ति उसके इलेक्ट्रोनिक क्रेडिट लैजर में 30 जून 2017 तक की अवधि से सम्बंधित रिटर्न में अग्रेषित किए गए मूल्य वर्धित कर क्रेडिट की राशि को लेने का पात्र है, यदि वह मौजूदा कानूनों के तहत नियत दिन से 90 दिनों के भीतर टीआरएएन-1 फाइल करके प्रस्तुत करता है।

धारा 140(3) के अनुसार एक पंजीकृत व्यक्ति जो मौजूदा कानून के तहत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी नहीं था अथवा जो छूट प्राप्त माल के विनिर्माण या छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधान में संलिप्त था, अथवा जो अनुबंध सेवा उपलब्ध कराता था वह स्टॉक में रखे इनपुट एवं नियत दिन पर स्टॉक में रखे अर्ध-समाप्त या समाप्त माल में शामिल इनपुट के सम्बन्ध में योग्य करों का क्रेडिट उसके इलेक्ट्रोनिक क्रेडिट लैजर में लेने का पात्र होगा।

हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के 11 मण्डलों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि 38 चयनित नमूनों में से एक मामले[5] में गत पिछले प्रतिदाय के अनुसार ₹ 11.69 लाख की राशि

---

[4] चम्बा एक, हमीरपुर दो, उना दो, कांगड़ा एक व पालमपुर एक।

[5] मेसर्स स्मिलैक्स फार्मास्यूटिकल्स, बद्दी (GSTIN 02ACNPG5021C1ZD)

इनपुट कर क्रेडिट थी। यद्यपि टीआरएएन-1 की संवीक्षा में उजागर हुआ कि इनपुट कर के रूप में ₹ 21.57 लाख का कुल दावा (तालिका 5सी में ₹ 9.88 लाख व तालिका 7सी में ₹ 11.69 लाख) अग्रेषित किया गया था। रिटर्न/इनवॉइस की संवीक्षा से पता चला कि तालिका 7सी के बजाय 5सी के अंतर्गत केवल ₹ 11.69 लाख इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य थे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.88 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित दावा हुआ।

इसे इंगित किए जाने पर (मार्च व अप्रैल 2021) राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त, बद्दी ने बताया (मार्च व अप्रैल 2021) कि संबंधित उचित अधिकारी को मामले की जांच करने के लिए निर्देश दिया गया है एवं परिणाम जल्द ही सूचित किया जाएगा।

2.7.6 सहायक दस्तावेजों के बिना पूंजीगत माल के इनपुट टैक्स क्रेडिट का अग्रेषण

नियम 140(2) में प्रावधान है कि धारा 10 के तहत कर अदायगी का विकल्प लेने वाले के अतिरिक्त एक पंजीकृत व्यक्ति अग्रेषित नहीं किए गए पूंजीगत माल के संबंध में न लिए गए इनपुट कर क्रेडिट के क्रेडिट को उसके इलेक्ट्रोनिक क्रेडिट लैजर में लेने का पात्र है, यदि वह मौजूदा कानूनों के तहत नियत दिन से ठीक पहले के दिन को समाप्त होने वाली अवधि हेतु रिटर्न प्रस्तुत करता है। न लिए गए इनपुट कर क्रेडिट से तात्पर्य उस राशि से है जो मौजूदा कानून के तहत पूंजीगत माल के संबंध में पहले से न लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि को घटाने के बाद बचती है। हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 11 (6) के अनुसार पूंजीगत माल पर इनपुट कर क्रेडिट तैयार माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण से सीधे जुड़े संयंत्र एवं मशीनरी तक सीमित होगा तथा इस धारा के तहत अनुमत इनपुट कर क्रेडिट व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने की तिथि से प्रारंभ होगा व तीन वर्ष की अवधि में बिक्री के टर्नओवर पर कर के सापेक्ष समायोजित किया जाएगा।

शिमला जिले के विक्रेताओं के टीआरएएन-1 के अभिलेखों की संवीक्षा में एक मामले[6] में उजागर हुआ कि खरीद-सूची (एलपी_1) दस्तावेज के अनुसार पूंजीगत माल की खरीद पर ₹ 5.55 लाख का कर चुकाया गया था। इसके अतिरिक्त विक्रेता ने विगत तीन वर्षों के दौरान पूंजीगत माल की कोई अन्य खरीद नहीं दिखाई, इसलिए पिछले वर्षों के पूंजीगत माल पर न लिया गया कोई इनपुट कर क्रेडिट उपलब्ध नहीं था। जून 2017 को समाप्त अंतिम तिमाही रिटर्न में विक्रेता ने ₹ 5.55 लाख के इनपुट कर क्रेडिट का दावा किया है, जो टीआरएएन-1 में अग्रेषित करने के लिए उपलब्ध था। यद्यपि विक्रेता ने टीआरएएन-1 में तालिका 6बी के अंतर्गत पूंजीगत माल पर न लिए गए क्रेडिट के रूप में ₹ 9.42 लाख का भी दावा किया था। इस प्रकार उपलब्ध इनपुट कर क्रेडिट से अधिक ₹ 9.42 लाख के इनपुट कर क्रेडिट को अग्रेषित किया गया।

---

[6] शिविन सीए स्टोर (GSTN NO. 02ADEFS7502G1ZF)

2.7.7 अभिलेख प्रस्तुत न करना

हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के 11 मण्डलों की लेखापरीक्षा के दौरान ट्रांजिशनल दावों के 592 मामलों की जांच की गई एवं 92 करदाताओं के अभिलेख अर्थात इनवॉईसिस, पूंजीगत माल पर न लिए गए क्रेडिट से सम्बंधित ट्रांजिशनल क्रेडिट के सम्बन्ध में दावों के सत्यापन हेतु लेखा-बहियां, कर चुकाए गए स्टॉक एवं ट्रांजिट में इनपुट/इनपुट सेवाओं पर क्रेडिट लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए। इन अभिलेखों के अभाव में लेखापरीक्षा में इन विक्रेताओं के ₹ 3.43 करोड़ के ट्रांजिशनल दावों की सत्यता (शुद्धता) का सत्यापन नहीं किया जा सका।

आबकारी एवं कराधान विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला से अभिलेख उपलब्ध करने का अनुरोध किया गया था (फरवरी 2021 से अप्रैल 2021 तक) तथा विभाग का प्रत्युत्तर प्रतीक्षित (अगस्त 2022) था।

2.8 निष्कर्ष

अंतिम पिछले रिटर्न्स की तुलना में अधिक इनपुट कर क्रेडिट अग्रेषित किए जाने एवं वार्षिक व त्रैमासिक रिटर्न्स के मध्य मिलान न होने के कारण ट्रांजिशनल क्रेडिट के अधिक दावों के उदाहरण पाए गए। यह देखा गया कि आवश्यक रिटर्न्स फाइल किए बिना ट्रांजिशनल क्रेडिट अनुमत किए गए। इसके अतिरिक्त कर अदायगी दस्तावेजों के बिना स्टॉक के रखे माल पर ट्रांजिशनल क्रेडिट अनुमत किया गया एवं पूंजीगत माल पर अधिक इनपुट कर क्रेडिट का अग्रेषण अनुमत किया गया। ये सभी विचलन राज्य सरकार के राजस्व की हानि में परिणत हुए।

परिच्छेद 2.7.1 से 2.7.5 में उल्लिखित लेखापरीक्षा निष्कर्ष राज्य सरकार को जनवरी 2022 में प्रेषित किए गए जबकि परिच्छेद 2.7.6 में उल्लिखित लेखापरीक्षा निष्कर्ष अप्रैल 2022 में प्रेषित किया गया एवं सभी लेखापरीक्षा निष्कर्षों का उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2022)।

2.9 सिफारिश

विभाग द्वारा समयबद्ध तरीके से ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों का जोखिम आधारित सत्यापन किया जाना चाहिए।